

order Sheet [Contd]

9000 19/ 2013- 10 ens you 191/20/3 - Signature of Parties or

Order or proceeding with Signature of presiding

Parties or Pleaders where necessa

परिवादी विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपमहाप्रबंधक की ओर से सहायक यंत्री / किनिष्ठ यंत्री जाहरू सहित उनके अधिवक्ता श्री २००० शिम्बार् उपा

आरोपी / गण सहित / द्वारा अधि० श्री राफ् गावा जारव उप0 / आरोपी अन्पस्थिति।

प्रकरण नेशनल / मेगा लोक अदालत में पेश हुआ है। अधिनियम के तहत आरोपीपक्ष के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। या से वासी परिवाद में आयोपी पण पर किया परिवाद में आयोपी पण पर इस परिवाद में आरोपी पक्ष पर धारा 135(1)क विद्युत अधिनियम

का आरोप लगाया गया है।

उक्त परिवाद मामले में विद्युत विभाग की ओर से उक्त कार्यपालन यंत्री की ओर से सहायक यंत्री / किनष्ट यंत्री ने अपने अधिवक्ता सहित धारा 152 विद्युत अधिनियम के तहत आवेदन पेश कर व्यक्त किया है कि इस मामले में विद्युत उर्जा की राशि नेशनल / मेगा लोक अदालत के मान से व समन शुल्क जमा किया जा चुका है। अत्एव लोक अदालत में उक्त प्रकरण समाप्त किया जावे।

सुनाया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। विचारोपरांत धारा 152 विद्युत अधिनियम का आवेदन स्वीकार योग्य होने से उसके आलोक में आरोपी पक्ष को दोषमुक्त किया गया। आरोपी का अगर जमानती/गिरफ्तारी वारंट जारी हो तो उसे अदम बापस बुलाने हेतु पत्र अविलंब जारी हो।

प्रकरण में कोई जप्ताशुदा सम्पत्ति नहीं है। परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

> वीरेन्द्र सिंह राजपूत पीटासीन अधिकारी खण्डषीट क0-18 एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम गोहद, जिला भिण्ड

Stray. year